NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-07-2026

विषय सूची

VB-G RAM G अधिनियम प्रभावी

eSARAS: बाजारों का विस्तार, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

एक सौ तीसवाँ संविधान संशोधन विधेयक

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नए नियम

प्रधानमंत्री ने नागरिक-केंद्रित सुधारों तथा आत्मनिर्भरता पर बल

संक्षिप्त समाचार

- भारत में कपास की घटती उत्पादकता
- GAGAN : सटीकता के साथ भारत के आकाशीय नेविगेशन को नई दिशा
- हेलीकॉप्टर संचालन हेतु भारत की प्रथम पॉइंट-इन-स्पेस (PinS) उपकरण आधारित एप्रोच प्रक्रिया
- थल सेना के 31वें प्रमुख
- ट्रांसकैस्पियन मारिंका(शिज़ोथोरैक्स पेल्ज़ामी)

VB-G RAM G अधिनियम प्रभावी

समाचार में

- **विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025** 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है।

VB-G RAM G की पृष्ठभूमि

- अतीत में भारत ने गरीबी उन्मूलन, कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा अल्प-रोजगार प्राप्त ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक ग्रामीण मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए।
- प्रारंभिक कार्यक्रमों में **ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम (1960 का दशक)** तथा **ग्रामीण रोजगार हेतु क्रैश योजना (1971)** प्रमुख थे।
- इसके परिणामस्वरूप समन्वय एवं कवरेज में सुधार के उद्देश्य से 1980 एवं 1990 के दशक में अधिक सुव्यवस्थित कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जैसे—
  - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ,
  - ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ,
  - जवाहर रोजगार योजना (1993), तथा
  - सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (1999)।
- **महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, 1977** एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध हुआ, जिसने **कार्य करने के वैधानिक अधिकार** की अवधारणा को प्रस्तुत किया।
- इन विकासक्रमों के परिणामस्वरूप **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005** अस्तित्व में आया, जिसने भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन को वैधानिक आधार प्रदान किया।
- हाल ही में भारत ने **मनरेगा, 2005** के स्थान पर **विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025** लागू किया है, जिसका उद्देश्य **'विकसित भारत @2047'** के अनुरूप ग्रामीण रोजगार नीति का आधुनिकीकरण करना है।

VB-G RAM G अधिनियम, 2025

- यह अधिनियम संसद द्वारा **दिसंबर, 2025** में पारित किया गया तथा इसने लगभग दो दशक पुराने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005** का स्थान लिया है।
- यह अधिनियम एक पृथक कल्याणकारी हस्तक्षेप की अवधारणा से आगे बढ़ते हुए **समेकित विकास एवं सुदृढ़ अवसंरचना** को प्रोत्साहित करने वाले एक व्यापक साधन के रूप में कार्य करता है।

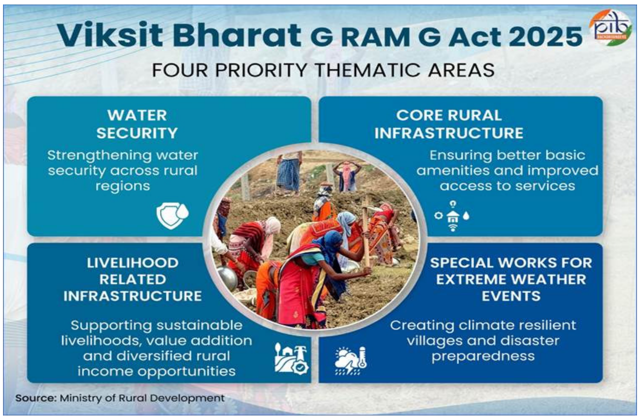

VB-G RAM G की प्रमुख विशेषताएँ

- **गारंटीकृत मजदूरी रोजगार दिवसों में वृद्धि:** VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत रोजगार दिवसों की संख्या **100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन** कर दी गई है।
- **कृषि मौसम के दौरान रोजगार गारंटी में विराम:** कृषि की **बुवाई एवं कटाई के चरम मौसम** के दौरान कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजना में **60 दिनों के विराम** का प्रावधान किया गया है।
- **राज्यों द्वारा वित्तीय भार में भागीदारी:** मनरेगा से भिन्न, VB-G RAM G अधिनियम ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के वित्तपोषण में राज्यों की अधिक भागीदारी का प्रावधान करता है।
  - जहाँ मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी व्यय का **100 प्रतिशत वहन केंद्र सरकार** करती थी, वहीं VB-G RAM G के अंतर्गत **40 प्रतिशत वित्तीय भार राज्यों** द्वारा वहन किया जाएगा।
  - हालांकि, **पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों** तथा **विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों** के लिए **90 प्रतिशत व्यय केंद्र सरकार** वहन करेगी।
  - वहीं, **विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों** के लिए संपूर्ण वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- **शीर्ष से निम्न संसाधन आवंटन प्रणाली:** यह अधिनियम राज्य श्रम बजट के आधार पर केंद्रीय आवंटन

की मनरेगा प्रणाली में परिवर्तन करते हुए **केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों के प्रत्यक्ष निर्धारण एवं आवंटन** की व्यवस्था लागू करता है।

- **नए नियम:** ग्रामीण विकास मंत्रालय ने VB-G RAM G योजना के अंतर्गत **आठ प्रारूप नियम** अधिसूचित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित विषय सम्मिलित हैं—
  - शासन व्यवस्था,
  - शिकायत निवारण,
  - प्रशासनिक व्यय,
  - संक्रमणकालीन प्रावधान,
  - निधि आवंटन के मानदंड,
  - मजदूरी एवं बेरोजगारी भत्ता भुगतान,
  - केंद्रीय निगरानी परिषद, तथा
  - राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के व्यय संबंधी प्रक्रियाएँ।
- इन नियमों का उद्देश्य योजना का **सुचारु, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन** सुनिश्चित करना है।

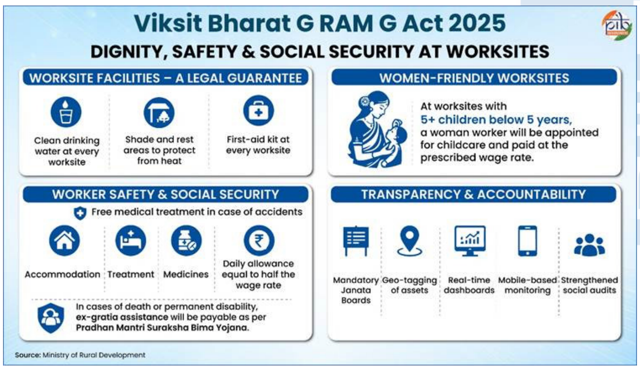

- **जॉब कार्ड के स्थान पर 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड':** VB-G RAM G अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान मनरेगा श्रमिकों के **ई-केवाईसी सत्यापित जॉब कार्ड** तब तक वैध रहेंगे, जब तक संबंधित राज्य नए **ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड** जारी नहीं कर देते।
  - ग्राम पंचायतों के माध्यम से अकुशल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण परिवारों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
  - महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांग व्यक्तियों, बंधुआ श्रमिकों, **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs)** तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए **विशेष रंग के कार्ड** जारी किए जाएंगे।
  - सभी कार्ड **तीन वर्ष** तक वैध होंगे तथा सत्यापन के उपरांत उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा।
- **समयबद्ध भुगतान एवं दंडात्मक प्रावधान:** मजदूरी का भुगतान **साप्ताहिक आधार पर अथवा मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के अंदर** किया जाना अनिवार्य होगा।
  - भुगतान में विलंब होने पर **अवैतनिक मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति** देय होगी।
- **राज्यों को मानक आधारित निधि आवंटन: मानक निधि आवंटन नियम, 2026 (प्रारूप उद्देश्यपरक मानदंड)** के अंतर्गत केंद्र सरकार निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक निधि आवंटन निर्धारित करेगी।
  - राज्यों के मध्य निधि वितरण के लिए **सोलहवें वित्त आयोग** के क्षैतिज संसाधन-वितरण सूत्र को आधार बनाया जाएगा।
- **अकुशल श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें:** VB-G RAM G अधिनियम, 2025 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अकुशल शारीरिक श्रम के लिए मजदूरी दर निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
  - विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक मजदूरी दरें निर्धारित की जा सकती हैं, किंतु वे **मनरेगा की मजदूरी दरों से कम नहीं होंगी।**
  - केंद्र सरकार ने **विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025** के अंतर्गत **₹300 प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी** निर्धारित की है।
  - विभिन्न राज्यों के लिए दैनिक मजदूरी **₹300 से ₹409** के मध्य अधिसूचित की गई है, जबकि **सिक्किम** के कुछ क्षेत्रों में यह **₹450 प्रतिदिन** तक निर्धारित की गई है।
  - उत्तरी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में मजदूरी दरों में **15 प्रतिशत से अधिक** की वृद्धि हुई है, जबकि **कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना** जैसे दक्षिणी राज्यों में यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम, **लगभग 3 प्रतिशत तक**, रही है।
- **बेरोजगारी भत्ता:** यदि आवेदन के **15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता**, तो संबंधित

व्यक्ति को पहले **30 दिनों तक अधिसूचित मजदूरी का एक-चौथाई** तथा उसके पश्चात **अधिसूचित मजदूरी का आधा** बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान किया जाएगा।

VB-G RAM G की प्रासंगिकता

- यह अधिनियम गारंटीकृत रोजगार को सुदृढ़ करता है, जिससे **मौसमी बेरोजगारी** एवं **आय संबंधी असुरक्षा** में कमी आती है।
- यह राज्यों के मध्य विद्यमान **मजदूरी असमानताओं** को दूर करने तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए **समान एवं न्यायसंगत मजदूरी** को प्रोत्साहित करने में सहायक है।
- यह रोजगार को **जल संसाधन प्रबंधन** तथा **आपदा नियोजन** से जोड़ते हुए पर्यावरणीय लचीलापन को सुदृढ़ करता है।
- यह ग्रामीण विकास कार्यों में **महिलाओं** तथा **हाशिए पर स्थित समुदायों** की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।
- स्थायी एवं सतत अवसंरचना के निर्माण पर दिया गया बल **दीर्घकालिक ग्रामीण उत्पादकता** एवं **सतत ग्रामीण विकास** को प्रोत्साहन देता है।
- यह **विकसित भारत @2047** की परिकल्पना सहित व्यापक विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होता है।

आलोचनाएँ एवं चुनौतियाँ

- अत्यधिक **केंद्रीकरण** से **शीर्ष से निम्न नियोजन** की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है, जो मनरेगा की प्रभावशीलता का मूल आधार रही है।
- ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण तथा राज्यों के अंदर मानक-आधारित निधि वितरण के लिए प्रस्तावित **केंद्रीकृत कार्यप्रणाली** से अत्यधिक सूक्ष्म स्तर के नियंत्रण की आशंका उत्पन्न होती है।
- मनरेगा के अंतर्गत जहाँ **श्रम लागत का लगभग संपूर्ण भार केंद्र सरकार** वहन करती थी तथा सामग्री लागत का वहन **60:40 के अनुपात** में केंद्र एवं राज्यों द्वारा किया जाता था, वहीं VB-G RAM G के अंतर्गत **श्रम एवं सामग्री व्यय के संयुक्त व्यय** को 60:40 अनुपात के अधीन कर दिया गया है, जिससे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ सकता है।
- **बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण** एवं **डिजिटल प्रणालियों** पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित डिजिटल पहुँच वाले ग्रामीण एवं संवेदनशील वर्गों को योजना से वंचित कर सकती है।
- प्रस्तावित परिवर्तनों से एक सफल **अधिकार-आधारित रोजगार गारंटी व्यवस्था** के कमजोर पड़ने अथवा उसके स्थान पर नई व्यवस्था लागू होने संबंधी चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

निष्कर्ष एवं आगे की राह

- **VB-G RAM G अधिनियम** ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो **आजीविका सुरक्षा** को **सतत विकास** से जोड़ते हुए रोजगार गारंटी के दायरे का विस्तार करता है।
- तथापि, इसकी सफलता पर्याप्त **वित्तीय सहायता**, **ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता**, **समावेशी डिजिटल प्रणाली**, **सुदृढ़ सामाजिक अंकेक्षण**, **जलवायु-अनुकूल नियोजन** तथा **संस्थागत क्षमता निर्माण** के माध्यम से वित्तपोषण, समावेशन एवं सुशासन संबंधी चुनौतियों के प्रभावी समाधान पर निर्भर करेगी, जिससे **विकसित भारत @2047** के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

स्रोत :IE

eSARAS: बाजारों का विस्तार, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

संदर्भ

- हाल ही में सरकार ने **eSARAS (SARAS आजीविका)** की भूमिका पर विशेष बल दिया है, जो महिला-नेतृत्व वाले **स्वयं सहायता समूहों** को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने, ग्रामीण कारीगरों को राष्ट्रीय बाज़ारों से जोड़ने तथा **डिजिटल इंडिया मिशन** के अंतर्गत समावेशी विकास को प्रोत्साहन देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

eSARAS (SARAS आजीविका) के बारे में

- यह **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs), ग्रामीण कारीगरों तथा उत्पादक समूहों** द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए एक **डिजिटल मार्केटप्लेस** है।

- इसका विकास **ग्रामीण विकास मंत्रालय** द्वारा **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)** के अंतर्गत किया गया है।
- इसका उद्देश्य SHG सदस्यों को **प्रत्यक्ष बाज़ार उपलब्ध कराना, मध्यस्थों की भूमिका समाप्त करना, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करना तथा स्वदेशी हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करना** है।
- eSARAS पर उपलब्ध प्रत्येक उत्पाद अपनी एक अलग कहानी प्रस्तुत करता है तथा प्रत्येक खरीद सीधे उस कारीगर से जुड़ाव स्थापित करती है जिसने उसे बनाया है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं–
    - मध्य प्रदेश की **चंदेरी साड़ियाँ**
    - राजस्थान के **संगमरमर शिल्पकार**
    - जम्मू एवं कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों के **पश्मीना उत्पादक**

प्रमुख उपलब्धियाँ: पोर्टल से ई-कॉमर्स इकोसिस्टम तक

- **eSARAS पोर्टल:** SARAS उत्पादों के अधिक प्रभावी विपणन हेतु ई-कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ।
- **eSARAS मोबाइल ऐप:** eSARAS फुलफिलमेंट सेंटर के साथ मोबाइल ऐप का शुभारंभ, जिसका उपयोग उत्पादों की **प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं शिपिंग** के लिए किया जाता है।
- **ONDC:** SHG उत्पादों को **11 से अधिक खरीदार ऐप्स** पर उपलब्ध कराया गया है। ONDC प्लेटफॉर्म पर **20 करोड़ से अधिक खरीदारों** तक पहुँच के साथ **800 से अधिक हस्तनिर्मित उत्पाद** सूचीबद्ध किए गए हैं।

- **UMANG:** eSARAS को **UMANG** प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया है। जून 2026 तक यह मंच **2,572 सेवाएँ** तथा **796.69 करोड़ लेन-देन** प्रदान कर रहा है।
- **SARAS शक्ति कलेक्शन: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026** में संस्थागत एवं कॉर्पोरेट बाज़ारों के लिए प्रीमियम क्यूरेटेड उपहार संग्रह लॉन्च किया गया।
- **SARAS आजीविका गैलरी:** चयनित SHG उत्पादों के प्रदर्शन हेतु एक **स्थायी रिटेल गैलरी** की स्थापना की गई है।

eSARAS की प्रमुख विशेषताएँ

- **SHGs के लिए विशेष मार्केटप्लेस:** यह केवल **महिला स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उत्पादक समूहों** द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री पर केंद्रित है।
- **ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता का विकास:** यह ग्रामीण महिलाओं में **उद्यमिता कौशल के विकास एवं संवर्धन** का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- **प्रत्यक्ष बाज़ार संपर्क:** यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच **सीधा संपर्क स्थापित** करता है तथा बिचौलियों पर निर्भरता को कम करता है, जिससे उत्पादकों की आय में वृद्धि होती है।
- **उत्पाद विविधता:** इसमें **हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, प्राकृतिक एवं जैविक खाद्य पदार्थ, गृह सज्जा सामग्री, वस्त्र उत्पाद तथा पारंपरिक कलाकृतियाँ** उपलब्ध हैं।
- यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक एवं शिल्प परंपरा को प्रोत्साहन देने में सहायक है।
- **डिजिटल सशक्तिकरण:** यह **ऑनलाइन पंजीकरण, उत्पाद सूचीकरण , डिजिटल भुगतान तथा ऑर्डर प्रबंधन** जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
    - साथ ही यह ग्रामीण महिलाओं में **डिजिटल साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन** को भी प्रोत्साहित करता है।
- **राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच:** यह भौगोलिक सीमाओं से परे ग्रामीण उत्पादों को **देशभर के उपभोक्ताओं तक पहुँचने** का अवसर प्रदान करता है।
    - यह **"वोकल फॉर लोकल"** तथा **आत्मनिर्भर भारत** अभियान को भी सुदृढ़ करता है।
    - समावेशिता

- यह विशेष रूप से **वंचित समुदायों एवं दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं** को आजीविका के अवसर प्रदान करता है।
- यह **DAY-NRLM** के अंतर्गत गठित सामुदायिक संस्थाओं को भी सशक्त बनाता है।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण:** डिजिटल विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग तथा गुणवत्ता मानकों के संबंध में **निरंतर प्रशिक्षण** प्रदान किया जाना चाहिए।
- **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना:** ऑर्डर पूर्ति के लिए **सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला एवं वितरण प्रणाली** का विकास आवश्यक है।
- **तकनीकी नवाचार:** बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुशंसा प्रणाली, बहुभाषी इंटरफेस, डेटा विश्लेषण** तथा अन्य आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए।
- **ब्रांड निर्माण:** क्षेत्रवार ब्रांड विकसित किए जाएँ तथा **भौगोलिक संकेतक (GI) आधारित उत्पादों** के प्रचार-प्रसार के माध्यम से उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को सुदृढ़ किया जाए।
- **अन्य मार्केटप्लेस के साथ एकीकरण:** बाज़ार तक व्यापक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु **ONDC, GeM तथा अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म** के साथ समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए।
- **वित्तीय सहायता:** SHGs को **सुगम ऋण, कार्यशील पूंजी तथा बीमा सहायता** उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- **निर्यात संवर्धन:** प्रीमियम हस्तशिल्प एवं पारंपरिक कारीगर उत्पादों के लिए **अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में निर्यात के अवसरों** का विस्तार किया जाना चाहिए।

स्रोत: PIB

एक सौ तीसवाँ संविधान संशोधन विधेयक

संदर्भ

- **एक सौ तीसवाँ संविधान संशोधन विधेयक** की समीक्षा कर रही **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट को अपनाए जाने की संभावना है।

परिचय

- **पृष्ठभूमि:** यह विधेयक वर्ष **2025** में प्रस्तुत किया गया था।
  - इसके बाद विपक्ष के तीव्र विरोध-प्रदर्शनों के कारण इसे परीक्षण हेतु **संयुक्त संसदीय समिति (JPC)** के पास भेज दिया गया।
- **प्रमुख प्रावधान:** विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी मंत्री पर **ऐसे अपराध का आरोप हो जिसकी अधिकतम सजा पाँच वर्ष या उससे अधिक का कारावास हो**, तथा उसे गिरफ्तार कर **निरंतर 30 दिनों तक न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा** में रखा गया हो, तो उसे पद से हटाया जा सकेगा।
  - यदि **प्रधानमंत्री अथवा कोई मुख्यमंत्री** निरंतर **30 दिनों तक अभिरक्षा** में रहता/रहती है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा; अन्यथा **31वें दिन वह स्वतः अपने पद से पदच्युत माना जाएगा।**
  - मंत्री को पद से हटाने का निर्देश—
    - **राष्ट्रपति** द्वारा, **प्रधानमंत्री** के परामर्श पर; अथवा
    - **राज्यपाल** द्वारा, **मुख्यमंत्री** के परामर्श पर दिया जा सकेगा।
  - यदि 30 दिनों की अभिरक्षा जारी रहती है, तो **31वें दिन स्वतः पद रिक्त** हो जाएगा।
- वर्तमान में मंत्री निम्नलिखित परिस्थितियों में पद छोड़ते हैं—
  - त्यागपत्र देकर,
  - प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री द्वारा पद से हटाए जाने पर,
  - अथवा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत दोषसिद्धि के पश्चात अयोग्य घोषित होने पर।
- प्रस्तावित संशोधन में **दोषसिद्धि** के स्थान पर **दीर्घकालिक अभिरक्षा** को सार्वजनिक पद रिक्त होने का आधार बनाया गया है।
- इस प्रावधान का उद्देश्य सार्वजनिक पदों की **गरिमा एवं निष्पक्षता** बनाए रखना तथा गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे व्यक्तियों को लंबे समय तक कार्यपालिका के पदों पर बने रहने से रोकना है।

- **विधेयक की आलोचनाएँ:** आलोचकों के अनुसार यह विधेयक—
  - **दोष सिद्ध होने से पूर्व निर्दोष मानने के सिद्धांत** का उल्लंघन कर सकता है, क्योंकि इसमें दोषसिद्धि के बजाय केवल गिरफ्तारी को पद से हटाने का आधार बनाया गया है।
  - राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए **जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग** की संभावना बढ़ा सकता है।
  - संविधान के **मूल संरचना सिद्धांत**, विशेषकर **लोकतंत्र, संघवाद तथा विधि के शासन** से संबंधित प्रश्न उत्पन्न कर सकता है।

राजनीति का अपराधीकरण

- राजनीति का अपराधीकरण से आशय **आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की निर्वाचन राजनीति में बढ़ती भागीदारी** से है।
- **गंभीर आपराधिक मामला** वह माना जाता है जिसमें अधिकतम सजा **पाँच वर्ष या उससे अधिक** हो अथवा अपराध **गैर-जमानती** हो।
- **लोकसभा** में गंभीर आपराधिक मामलों का सामना करने वाले सांसदों का प्रतिशत **2009 में 14% से बढ़कर 2024 में 31%** हो गया है।
  - **राज्य विधानसभाओं** में वर्ष 2024 में ऐसे विधायकों (MLAs) की हिस्सेदारी **29%** थी, जो **1,200 से अधिक विधायकों** के बराबर है।
- **आंध्र प्रदेश** में गंभीर आपराधिक मामलों वाले विधायकों का प्रतिशत **56%** के साथ सर्वाधिक रहा, इसके बाद **तेलंगाना (50%)** का स्थान रहा।

राजनीति के अपराधीकरण के कारण

- **कमजोर अयोग्यता संबंधी कानून: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA)** के अंतर्गत प्रत्याशी केवल **दोषसिद्धि** के बाद ही अयोग्य घोषित होते हैं।
  - न्यायिक प्रक्रिया में वर्षों लग जाने के कारण अनेक आरोपी अंतिम निर्णय से पूर्व कई चुनाव लड़ लेते हैं।
- **धनबल एवं बाहुबल:** पर्याप्त वित्तीय संसाधनों तथा स्थानीय प्रभाव रखने वाले उम्मीदवारों को राजनीतिक दल **"जीतने योग्य"** प्रत्याशी मानते हैं।
- **मतदाताओं में सीमित जागरूकता:** यद्यपि उम्मीदवारों द्वारा शपथपत्रों में आपराधिक विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर भी अनेक मतदाता इनसे अनभिज्ञ रहते हैं अथवा जातीय एवं धार्मिक आधार पर मतदान करते हैं।
- **राजनीतिक दलों की संलिप्तता:** राजनीतिक दल प्रायः ऐसे उम्मीदवारों को उनकी **लोकप्रियता** तथा **चुनाव जीतने की क्षमता** का हवाला देकर टिकट प्रदान करते हैं।
- **न्यायिक प्रक्रिया में विलंब:** बार-बार स्थगन तथा राजनीतिक कारणों से मामलों की वापसी के कारण अनेक आरोपी दोषसिद्धि से बच निकलते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव

- **लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास:** यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की अवधारणा को कमजोर करता है।
  - मतदाताओं के समक्ष विकल्प सीमित हो जाते हैं, जिससे प्रतिनिधिक लोकतंत्र की भावना प्रभावित होती है।
- **भ्रष्टाचार में वृद्धि:** आपराधिक तत्वों की उपस्थिति के कारण मतदाताओं को धमकाना, बूथ नियन्त्रण तथा चुनावी अभियानों में काले धन का उपयोग जैसी अनियमितताएँ बढ़ती हैं।
- **जनविश्वास में कमी:** आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों के बार-बार निर्वाचित होने से मतदाता सहभागिता घटती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का विश्वास कमजोर होता है।
- **नीति-निर्माण का विकृतिकरण:** निर्वाचित प्रतिनिधि अपने व्यक्तिगत एवं आपराधिक नेटवर्क की सुरक्षा हेतु राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, जिससे नीति-निर्माण जनहित से भटक जाता है।

प्रमुख समितियों की सिफारिशें

- **इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) एवं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** चुनावों में काले धन के उपयोग को रोकने तथा भ्रष्टाचार कम करने के लिए **चुनावों के आंशिक राज्य पोषण** की अनुशंसा की।
- **संविधान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (2002):** राजनीतिक दलों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए—

    - दलों के व्यय का **वैधानिक लेखा-परीक्षण** तथा
    - प्रत्याशियों की **संपत्तियों एवं देनदारियों का अनिवार्य प्रकटीकरण** करने की अनुशंसा की।
- **विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट (2014):** जिन अपराधों में अधिकतम सजा **पाँच वर्ष या उससे अधिक** हो, उनमें **आरोप तय** होते ही संबंधित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की अनुशंसा की।
    - वर्तमान सांसदों एवं विधायकों के विरुद्ध लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु **फास्ट ट्रैक न्यायालयों** की स्थापना का भी सुझाव दिया।

उच्चतम न्यायालय के प्रमुख निर्णय

- **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013):** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी वर्तमान सांसद, विधायक अथवा विधान परिषद सदस्य (MLC) को **दो वर्ष या उससे अधिक** के कारावास की सजा होती है, तो वह **तत्काल प्रभाव से अयोग्य** घोषित होगा।
- **पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018):** न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के **आपराधिक रिकॉर्ड**, अपराधों की प्रकृति तथा आरोपों का सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण करें।
- **वर्ष 2020 का उच्चतम न्यायालय का निर्देश:** न्यायालय ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे लंबित आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों का विवरण—
    - अपनी **वेबसाइट**,
    - **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म**, तथा
    - **समाचार पत्रों** में उम्मीदवार के चयन के **48 घंटे के अंदर** प्रकाशित करें तथा उनके चयन के कारण भी स्पष्ट करें।

निष्कर्ष

- राजनीति का अपराधीकरण लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कमजोर करता है, विधि के शासन को प्रभावित करता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को क्षीण करता है।
- इस समस्या के समाधान हेतु निर्वाचन सुधार, जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा, राजनीतिक वित्तपोषण में अधिक पारदर्शिता, राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करना तथा मतदाताओं की जागरूक एवं सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है।

स्रोत: TH

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के अंतर्गत नए नियम

संदर्भ

- **केंद्र सरकार** ने **दूरसंचार अधिनियम, 2023** के अंतर्गत तीन प्रमुख **प्राधिकरण नियमों** को अधिसूचित किया है, जिससे देश में नई दूरसंचार विनियामक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू हो गई है।

परिचय

- अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित प्राधिकरण नियम:
    - दूरसंचार (प्रधान दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026
    - दूरसंचार (कैप्टिव दूरसंचार सेवाओं हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026
    - दूरसंचार (विविध दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2026

पृष्ठभूमि

- **दूरसंचार अधिनियम, 2023** ने **भारतीय तार अधिनियम, 1885** तथा **भारतीय वायरलेस तार अधिनियम, 1933** का स्थान लिया है।
- यह अधिनियम भारत के दूरसंचार संबंधी कानूनों को एकीकृत करते हुए **5G, 6G, उपग्रह संचार , इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) तथा इंटरनेट-आधारित संचार सेवाओं** जैसी आधुनिक तकनीकों के अनुरूप एक समग्र विधिक ढाँचा प्रदान करता है।
- यद्यपि अधिनियम के कुछ प्रावधान वर्ष **2024** में अधिसूचित किए गए थे, किंतु **प्राधिकरण नियमों** की अधिसूचना के साथ इसका पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित हो गया है।

दूरसंचार अधिनियम, 2023 की प्रमुख विशेषताएँ

- **दूरसंचार की प्रौद्योगिकी-तटस्थ परिभाषा:** अधिनियम में **दूरसंचार** को व्यापक रूप से परिभाषित

किया गया है, जिसके अनुसार **तार, रेडियो, प्रकाशीय अथवा अन्य विद्युत-चुंबकीय प्रणालियों के माध्यम से संदेशों का प्रेषण, उत्सर्जन अथवा ग्रहण** दूरसंचार की श्रेणी में आता है।

- **मार्गाधिकार :** अधिनियम सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों पर दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना हेतु प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।
  - इससे **ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार** तथा **आगामी पीढ़ी के दूरसंचार नेटवर्क** के शीघ्र विकास को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा है।
- **स्पेक्ट्रम का आवंटन:** सामान्यतः **स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी** के माध्यम से किया जाएगा।
  - तथापि, **राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा सार्वजनिक प्रसारण** जैसे निर्दिष्ट सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए **प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन** की अनुमति दी गई है।
- **डिजिटल भारत निधि :** अधिनियम में **यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF)** का नाम परिवर्तित कर **डिजिटल भारत निधि (DBN)** कर दिया गया है।
  - यह निधि ग्रामीण, दूरस्थ एवं व्यावसायिक रूप से अलाभकारी क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती रहेगी।
- **आपातकालीन शक्तियाँ:** युद्ध, लोक आपातकाल अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में **केंद्र सरकार** अस्थायी रूप से दूरसंचार अवसंरचना का नियंत्रण अपने स्वामित्व में ले सकती है।
  - सरकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार **दूरसंचार सेवाओं को अवरोधित, निगरानी अथवा निलंबित** भी कर सकती है।

दूरसंचार (प्राधिकरण) नियम, 2026

- सरकार ने नई व्यवस्था के **डिजिटल कार्यान्वयन** हेतु **दूरसंचार विभाग (DoT) के टेलीकॉम ई-सर्विसेज़ पोर्टल** को भी अधिसूचित किया है।
  - साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि **प्राधिकरण** प्राप्त होने मात्र से **स्पेक्ट्रम उपयोग का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं होगा।**
- **प्राधिकरण-आधारित विनियामक व्यवस्था:** इन नियमों के माध्यम से पूर्व की **लाइसेंस-आधारित प्रणाली** के स्थान पर **दूरसंचार अधिनियम, 2023** के अंतर्गत **प्राधिकरण-आधारित नियामक व्यवस्था** लागू की गई है।
- **उपग्रह एवं डेटा संबंधी प्रावधान:** जो कंपनियाँ **उपग्रह आधारित दूरसंचार नेटवर्क** की स्थापना, संचालन, रखरखाव अथवा विस्तार करना चाहती हैं अथवा उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करना चाहती हैं, उन्हें **सरकार से पृथक स्वीकृति** प्राप्त करनी होगी।
  - अधिकृत संस्थाओं को **सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों** में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना अथवा विस्तार से पूर्व भी सरकारी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  - दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को **नेटवर्क डेटा, लॉग तथा संबंधित सूचनाओं का भंडारण भारत के अंदर ही करना होगा।**
  - ऐसे डेटा की प्रतियों को **भारत से बाहर प्रेषित करना, साझा करना अथवा उपलब्ध कराना** अनुमत नहीं होगा।

प्रमुख चिंताएँ

- **दूरसंचार की व्यापक परिभाषा:** दूरसंचार की **प्रौद्योगिकी-तटस्थ एवं व्यापक परिभाषा** को लेकर आशंका व्यक्त की गई है कि यदि सरकार अधिसूचना जारी करती है, तो **मैसेजिंग एवं कॉलिंग एप्लिकेशन** जैसे **इंटरनेट-आधारित संचार प्लेटफॉर्म** भी इस विनियामक व्यवस्था के दायरे में आ सकते हैं।
- **निजता (Privacy) संबंधी चिंताएँ:** अधिनियम सरकार को निर्दिष्ट परिस्थितियों में **संचार को अवरोधित करने** तथा **दूरसंचार अवसंरचना का अस्थायी अधिग्रहण** करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे निजता के अधिकार से संबंधित प्रश्न उठते हैं।
- **OTT प्लेटफॉर्म के लिए विनियामक अनिश्चितता: ओवर-द-टॉप प**संचार सेवाओं के नियामक स्वरूप को लेकर अभी भी स्पष्टता का अभाव है।

आगे की राह

- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि **दूरसंचार अधिनियम, 2023** का कार्यान्वयन **विनियामक स्पष्टता** प्रदान करे, उपयोगकर्ताओं की **निजता की**

रक्षा सुनिश्चित करे तथा **राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों** के बीच संतुलन बनाए रखे।

- एक **पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-तटस्थ विनियामक ढाँचा** नई **प्राधिकरण-आधारित व्यवस्था** में सुगम संक्रमण सुनिश्चित करते हुए **सार्वभौमिक डिजिटल संपर्क** तथा **आगामी पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं में निवेश** को प्रोत्साहित करना चाहिए।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री ने नागरिक-केंद्रित सुधारों तथा आत्मनिर्भरता पर बल

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के सचिवों से शासन के तीन प्रमुख उद्देश्यों—ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जीवनयापन में सुगमता तथा आत्मनिर्भर भारत —को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है?

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस से आशय उस सीमा से है, जहाँ तक विनियामक, प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्था व्यवसायों को न्यूनतम लागत, समय तथा प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ स्थापित करने, संचालित करने, विस्तार करने तथा बंद करने में सक्षम बनाती है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में भारत की प्रगति

- विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर 2019 में 63वें स्थान पर पहुँच गई, जो नियामक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार को दर्शाती है।
- आईएमडी (IMD) विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की स्थिति 2021 में 43वें स्थान से सुधरकर 2025 में 41वें स्थान पर पहुँच गई।
- विश्व बैंक के गवटेक मैच्योरिटी इंडेक्स में भारत को निरंतर समूह-A में स्थान दिया गया है, जो उन्नत डिजिटल प्रशासनिक क्षमताओं का संकेत है।
- संयुक्त राष्ट्र ई-गवर्नमेंट सर्वेक्षण ने ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं, डिजिटल अवसंरचना तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम शासन के क्षेत्र में भारत की प्रगति को मान्यता प्रदान की है।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):** इस कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि अभिलेखों एवं कैडस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे भूमि विवादों में कमी आई है तथा पारदर्शिता बढ़ी है।
  - **यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (ULPIN):** इसके माध्यम से प्रत्येक भूमि खंड को विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान की गई है, जिससे भूमि प्रबंधन अधिक सटीक एवं प्रभावी हुआ है।
- **श्रम सुधार:** श्रम संहिताओं के माध्यम से अनेक श्रम कानूनों को समेकित कर सरल कानूनी ढाँचा तैयार किया गया है।
  - एकल पंजीकरण, एकल रिटर्न तथा अखिल भारतीय लाइसेंस की व्यवस्था ने व्यवसायों की अनुपालन लागत में कमी की है।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):** इस पारदर्शी डिजिटल मंच के माध्यम से MSMEs, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों तथा स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकारी खरीद में अवसरों का विस्तार हुआ है।
  - इससे सार्वजनिक खरीद में समावेशी भागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।
- **डिजिटल वाणिज्य हेतु ओपन नेटवर्क (ONDC):** इस पहल ने खुले एवं अंतर-संचालनीय डिजिटल वाणिज्य तंत्र का निर्माण किया है, जिससे छोटे व्यवसाय बड़े ई-कॉमर्स मंचों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- **पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ:** PARIVESH पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण, वन, वन्यजीव एवं तटीय विनियमन संबंधी स्वीकृतियों का डिजिटलीकरण किया गया है।
- **MSME का औपचारीकरण:** उद्यम पंजीकरण पोर्टल ने कागज रहित एवं स्व-घोषणा आधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई है।
- **जन विश्वास सुधार :** इन सुधारों के अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित सैकड़ों छोटे अपराधों का अपराधमुक्तीकरण किया गया है।
  - इससे प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण आपराधिक कार्रवाई का भय कम हुआ है तथा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिला है।

जीवनयापन में सुगमता क्या है?

- जीवनयापन में सुगमता से आशय नागरिकों की उस क्षमता से है, जिसके माध्यम से वे मूलभूत सेवाओं, अवसरों, अवसंरचना तथा शासन संबंधी सुविधाओं तक सुविधाजनक, किफायती एवं सम्मानजनक ढंग से पहुँच प्राप्त कर सकें।
- इसका उद्देश्य आवास, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वच्छता, परिवहन, वित्तीय सेवाएँ तथा डिजिटल शासन जैसी सुविधाओं तक पहुँच सुनिश्चित कर नागरिकों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।
    - यह समावेशी एवं सतत विकास का एक प्रमुख आधार स्तंभ है।
- भारत ने आवास, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, वित्तीय सेवाओं, संपर्क सुविधा तथा नागरिक-केंद्रित शासन तक पहुँच बढ़ाकर जीवनयापन की सुगमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):** प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के माध्यम से देश में किफायती आवासों की उपलब्धता में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- **जल जीवन मिशन (JJM):** "हर घर जल" के लक्ष्य के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति का तीव्र विस्तार किया गया है।
    - जून 2026 तक 15.86 करोड़ (81.94%) से अधिक परिवारों को स्वच्छ नल जल उपलब्ध कराया जा चुका है।
- **JAM त्रिमूर्ति (जन धन-आधार-मोबाइल):** जन धन–आधार–मोबाइल (JAM) भारत की कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की आधारभूत व्यवस्था बन चुकी है।
    - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने करोड़ों वंचित नागरिकों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा।
    - वित्तीय वर्ष 2024–25 में ही प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं के अंतर्गत ₹6.9 लाख करोड़ सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित किए गए।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को 57 करोड़ से अधिक संपार्श्विक-मुक्त ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
    - मुद्रा योजना के लगभग दो-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ हैं।

आत्मनिर्भर भारत क्या है?

- आत्मनिर्भर भारत एक राष्ट्रीय विकास रणनीति है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार एवं रणनीतिक क्षेत्रों में भारत की घरेलू क्षमताओं को सुदृढ़ करना है, साथ ही वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के साथ एकीकृत बने रहना है।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **मेक इन इंडिया:** वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई इस पहल का उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित कर, नवाचार को प्रोत्साहन देकर तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना का विकास कर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इस योजना के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों में प्रदर्शन-आधारित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा भारतीय उद्योगों को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से जोड़ा जा रहा है।
- **स्टार्टअप इंडिया :** वर्ष 2016 में प्रारंभ इस पहल का उद्देश्य नियामकीय सरलीकरण, कर प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, इनक्यूबेशन तथा नवाचार-आधारित उद्यमिता के माध्यम से स्टार्टअप पारितंत्र का विकास करना है।
- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन:** इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण पारितंत्र का विकास करना है।
    - इसके अंतर्गत चिप निर्माण, डिज़ाइन, पैकेजिंग तथा अनुसंधान को प्रोत्साहित कर तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** वर्ष 2023 में प्रारंभ इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन एवं उसके व्युत्पन्न उत्पादों के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।
    - साथ ही यह ऊर्जा सुरक्षा एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी को भी प्रोत्साहन देता है।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह पहल विभिन्न क्षेत्रों में समेकित अवसंरचना योजना को प्रोत्साहन देती है।

- इससे परियोजनाओं में विलंब कम होता है तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार होता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **संस्थागत अवरोध:** जटिल विनियम, अनुपालन संबंधी भार तथा स्वीकृतियों में विलंब व्यवसायों एवं सार्वजनिक सेवा वितरण को प्रभावित करते हैं।
- **अंतर-विभागीय समन्वय:** मंत्रालयों एवं विभागों के बीच सीमित समन्वय के कारण नीतियों में अतिव्यापन, कार्यान्वयन में विलंब तथा संसाधनों का अप्रभावी उपयोग होता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** राज्यों एवं जिलों के बीच अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल संपर्क तथा आर्थिक अवसरों की उपलब्धता में अभी भी उल्लेखनीय अंतर विद्यमान है।
- **वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएँ:** भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, जलवायु संबंधी जोखिम तथा संरक्षणवादी नीतियाँ सतत आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती हैं।

आगे की राह

- समग्र शासन दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए विभागीय अलगाव को समाप्त किया जाए, समेकित योजना निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए तथा पीएम गतिशक्ति जैसे डिजिटल मंचों का प्रभावी उपयोग कर शासन, सेवा वितरण एवं परियोजना कार्यान्वयन में सुधार किया जाए।
- ऐसे नागरिक-केंद्रित एवं विकासोन्मुख सुधारों को निरंतर आगे बढ़ाया जाए, जो एक साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, जीवनयापन में सुगमता तथा आत्मनिर्भर भारत को सुदृढ़ करें और इस प्रकार विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की प्राप्ति को गति प्रदान करें।

स्रोत: TH, PIB, PIB

संक्षिप्त समाचार

भारत में कपास की घटती उत्पादकता

संदर्भ

- भारत में कपास की उत्पादकता में ठहराव के कारण इस पर परिचर्चा तीव्र हो गई है कि क्या केवल नई आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) कपास प्रौद्योगिकियाँ ही उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, अथवा मृदा स्वास्थ्य एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।

परिचय

- भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, जहाँ विश्व के कुल कपास क्षेत्र का लगभग 37% भाग स्थित है।
- साथ ही, भारत विश्व के प्रमुख कपास उत्पादक देशों में भी सम्मिलित है।
- बीटी कपास , विशेषकर बोलगार्ड-II के उपयोग से वर्ष 2002 से 2013 के बीच कपास की उत्पादकता में लगभग 88% की वृद्धि हुई।
- तथापि, वर्ष 2014–15 के बाद मृदा क्षरण, जलवायु परिवर्तनशीलता, कीटों में प्रतिरोधक क्षमता तथा अपर्याप्त कृषि प्रबंधन जैसी संरचनात्मक चुनौतियों के कारण कपास की उत्पादकता में ठहराव आ गया है।

मृदा क्षरण : कपास उत्पादकता में ठहराव का प्रमुख कारण

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, भारत की लगभग 32% भूमि क्षरित हो चुकी है तथा लगभग 25% भूमि मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना कर रही है।
- भारतीय कृषि भूमि में मृदा कार्बनिक कार्बन (SOC) की मात्रा औसतन 0.3–0.6% है, जबकि उत्पादक कृषि भूमि के लिए वैश्विक स्तर पर 1–1.5% को न्यूनतम आवश्यक माना जाता है।
- राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्रों में मृदा कार्बनिक कार्बन का स्तर 0.25% से भी कम दर्ज किया गया है, जो अत्यंत चिंताजनक है।
- मृदा कार्बनिक कार्बन की कमी से—
  - मृदा की उर्वरता घटती है,
  - आर्द्रता धारण करने की क्षमता कम होती है,
  - पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है,
  - तथा सूखे एवं जलवायु संबंधी तनावों के प्रति फसल की सहनशीलता कम हो जाती है।

कपास की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ

- कपास एक अर्द्ध-शुष्क पौधा है, जिसकी खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में की जाती है।
- खेतों में बेहतर अंकुरण के लिए न्यूनतम 15°C तापमान आवश्यक होता है।
    - इसके वानस्पतिक विकास हेतु 21°C से 27°C तापमान सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है।
- यह 43°C तक के तापमान को सहन कर सकता है, किंतु 21°C से कम तापमान फसल के लिए हानिकारक होता है।
- भारत में कपास की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जाती है, जैसे—
    - उत्तरी भारत की सुव्यवस्थित जल-निकास वाली गहरी जलोढ़ मृदा,
    - मध्य भारत की काली चिकनी (रेगुर) मृदा,
    - तथा दक्षिण भारत की काली एवं मिश्रित काली-लाल मृदा।
- कपास लवणीयता के प्रति आंशिक सहनशील है, किंतु जलभराव के प्रति अत्यंत संवेदनशील होने के कारण अच्छी जल-निकास वाली मृदा को प्राथमिकता देता है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस (IE)

GAGAN : सटीकता के साथ भारत के आकाशीय नेविगेशन को नई दिशा

संदर्भ

- भारत ने उपग्रह आधारित नौवहन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) विषुवतीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित होने वाला विश्व का प्रथम उपग्रह-आधारित संवर्धन तंत्र (SBAS) बन गया है।
- हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने GAGAN का उपयोग करते हुए किसी वाणिज्यिक विमान पर भारत की पहली उपग्रह-आधारित लैंडिंग प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया।

GAGAN के बारे में

- GAGAN (GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन) भारत का स्वदेशी उपग्रह-आधारित संवर्धन तंत्र (SBAS) है।
- इसका संयुक्त विकास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा किया गया है।
- वर्ष 2015 से परिचालन में यह प्रणाली GPS संकेतों की सटीकता, उपलब्धता तथा विश्वसनीयता को वास्तविक समय में सुधारात्मक सूचना प्रदान करके बढ़ाती है।

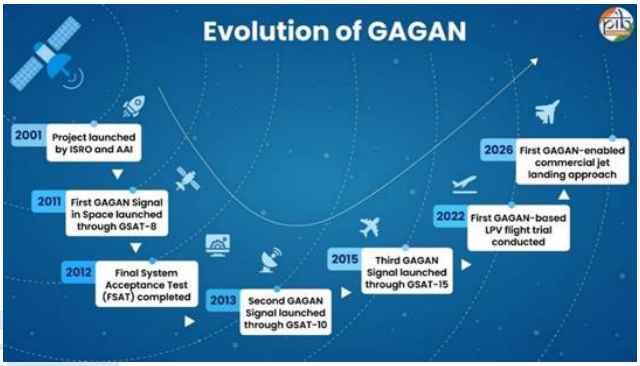

महत्व

- यह विषुवतीय क्षेत्र के लिए प्रमाणित होने वाला विश्व का प्रथम SBAS है, जहाँ आयनमंडलीय व्यवधान उपग्रह नौवहन को प्रभावित करते हैं।
- यह GPS स्पूफिंग एवं जैमिंग जैसी चुनौतियों के विरुद्ध नौवहन प्रणाली की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करता है।
- यह आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत की स्वदेशी नौवहन क्षमताओं को सुदृढ़ करता है।
- इसके माध्यम से भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जिनके पास परिचालित उपग्रह-आधारित संवर्धन तंत्र (SBAS) उपलब्ध है।

अनुप्रयोग

- विमानन क्षेत्र के अतिरिक्त GAGAN का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में भी किया जाता है—
    - समुद्री नौवहन
    - बुद्धिमान परिवहन प्रणाली एवं बेड़ा प्रबंधन
    - रेलवे संचालन
    - आपदा प्रबंधन

- रक्षा, दूरसंचार समकालिकीकरण तथा भू-स्थानिक मानचित्रण

क्या आप जानते हैं?

- GAGAN की एकीकृत संरचना भारत के व्यापक उपग्रह नौवहन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है।
- GAGAN के साथ-साथ भारत ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) का भी विकास किया है, जो भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय उपग्रह नौवहन प्रणाली है।

GAGAN	NavIC
Satellite-Based Augmentation System (SBAS)	Independent regional navigation satellite system
Improves GPS through real-time corrections and integrity information	Provides positioning, navigation and timing services
Supports civil aviation across the Indian Flight Information Region	Coverage area includes India and a region up to 1500 km beyond Indian boundary

स्रोत: PIB

हेलीकॉप्टर संचालन हेतु भारत की प्रथम पॉइंट-इन-स्पेस (PinS) उपकरण आधारित एप्रोच प्रक्रिया

संदर्भ

- भारत ने **आंध्र प्रदेश के उंडावल्ली हेलीपोर्ट** पर हेलीकॉप्टर संचालन के लिए देश की प्रथम **निजी पॉइंट-इन-स्पेस उपकरण आधारित एप्रोच प्रक्रिया** को स्वीकृति प्रदान कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

परिचय

- इस प्रक्रिया का विकास **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)** द्वारा किया गया है तथा इसे **नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)** द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  - इसे **DGCA के विनियमों** तथा **अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)** के मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है।
- **PinS प्रक्रिया** उन्नत **उपग्रह-आधारित नौवहन** तकनीक का उपयोग करती है, जिससे ऐसे हेलीपोर्टों पर भी हेलीकॉप्टर सुरक्षित एवं सटीक **उपकरण आधारित एप्रोच** कर सकते हैं, जहाँ पारंपरिक **उपकरण अवतरण अवसंरचना** उपलब्ध नहीं होती।
- यह प्रणाली विशेष रूप से **प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों** तथा उन क्षेत्रों में अत्यंत उपयोगी है जहाँ **भूमि-आधारित नौवहन सहायता** उपलब्ध नहीं होती।
- **अनुप्रयोग:** इस स्वीकृति से देशभर में इसी प्रकार की **PinS प्रक्रियाओं** के विकास का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।
  - इससे निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष लाभ प्राप्त होगा—
    - आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ
    - आपदा राहत अभियान
    - पर्यटन
    - अपतटीय गतिविधियाँ
    - तीर्थयात्रा सेवाएँ
    - कॉर्पोरेट विमानन
    - क्षेत्रीय संपर्क
  - यह दूरस्थ एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में **उपकरण उड़ान नियमों (IFR)** के अंतर्गत अधिक सुरक्षित उड़ान संचालन सुनिश्चित करेगा तथा परिचालन की विश्वसनीयता में वृद्धि करेगा।

स्रोत : AIR

थल सेना के 31वें प्रमुख

संदर्भ

- **जनरल धीरज सेठ** ने **जनरल उपेंद्र द्विवेदी** से **भारतीय थल सेना के 31वें प्रमुख (COAS)** का कार्यभार ग्रहण किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्र की चार दशकों से अधिक की विशिष्ट सेवा के उपरांत सेवानिवृत्ति प्राप्त की।

थल सेना प्रमुख

- **थल सेना प्रमुख (COAS)** भारतीय थल सेना के **व्यावसायिक प्रमुख** तथा **सर्वोच्च रैंक प्राप्त सेवारत अधिकारी** होते हैं।
- वे भारतीय थल सेना के **नेतृत्व, प्रशिक्षण, प्रशासन, अनुशासन तथा परिचालन तत्परता** के लिए उत्तरदायी होते हैं।

- किंतु **संविधान के अनुच्छेद 53(2)** के अनुसार **भारत के राष्ट्रपति** सशस्त्र बलों के **सर्वोच्च कमांडर** होते हैं।
- **थल सेना प्रमुख** की नियुक्ति **मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति** द्वारा **तीन वर्ष** अथवा **62 वर्ष की आयु**, जो भी पहले हो, तक के लिए की जाती है।
- COAS, **मंत्रिमंडलीय सुरक्षा समिति (CCS)** तथा **रक्षा मंत्रालय** के नेतृत्व वाली नागरिक-नियंत्रित रक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं।

नवीनतम घोषणाएँ

- नए थल सेना प्रमुख ने भारतीय सेना को **प्रौद्योगिकी-केंद्रित, भविष्य के लिए सक्षम (Future-Ready)** तथा **पारंपरिक, संकर (Hybrid) एवं उभरते युद्धक्षेत्रों** में संचालन योग्य बनाने हेतु **"विजय (VIJAY)" रोडमैप** का शुभारंभ किया है।
- इस रोडमैप के प्रमुख आधार स्तंभ हैं—
  - **सतर्कता** – परिचालन तत्परता
  - **नवाचार एवं रूपांतरण** – आधुनिक प्रौद्योगिकियों एवं सैन्य सिद्धांतों का विकास
  - **संयुक्तता एवं एकीकरण** – तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय तथा **सम्पूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण** को प्रोत्साहन
  - **आत्मनिर्भरता** – स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का विकास
  - **योद्धा प्रथम** – सैनिक कल्याण, प्रशिक्षण, पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों का सशक्तीकरण
- इस दृष्टि का उद्देश्य **राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना** तथा **परिवर्तन के दशक** एवं **विकसित भारत-2047** के लक्ष्यों के अनुरूप सैन्य तैयारी को सशक्त बनाना है।

स्रोत : AIR

ट्रांसकैस्पियन मारिंका(शिज़ोथोरैक्स पेल्ज़ामी)

समाचार में

- अरुणाचल प्रदेश के **पूर्वी कामेंग जिले** के एक समुदाय (क्लान) ने **रे-फिन्ड मछली ट्रांसकैस्पियन मारिंका** के संरक्षण हेतु एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है।

ट्रांसकैस्पियन मारिंका

- **आवास:** यह एक **स्वच्छ जल** की **बेंथोपेलैजिक** अर्थात् नदी के तल के समीप रहने वाली मछली है।
- **वितरण:** यह मुख्यतः **तुर्कमेनिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान तथा उत्तर-पूर्वी ईरान** की नदियों में पाई जाती है।
  - यह समशीतोष्ण क्षेत्रों के बेंथोपेलैजिक जलीय पर्यावरण में विकसित होती है।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति: अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN)** ने इसे **"कम चिंता "** श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसका वितरण क्षेत्र व्यापक है तथा इसके प्राकृतिक आवास में वर्तमान में व्यापक स्तर के खतरे नहीं पाए जाते।
- **भारत में नवीनतम संरक्षण पहल:** अरुणाचल प्रदेश के **पूर्वी कामेंग जिले** के **सांगनो समुदाय** ने **सामुदायिक आधारित संरक्षण पहल** प्रारंभ की है।
  - इसके अंतर्गत स्थानीय रूप से **"नगारसिंग"** कहलाने वाली **ट्रांसकैस्पियन मारिंका** की **52 फिंगरलिंग** को **महाशीर** रहित **रिचासो धारा** में छोड़ा गया है, ताकि इस प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहन दिया जा सके।

स्रोत : TH

■■■■